भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 964
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आवासीय भवनों की मांग

964. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में आवासीय भवनों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग के अनुरूप आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु सरकार कोई योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 18 के अनुसार, 'भूमि और कालोनीकरण' एक राज्य का विषय है। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवासीय भवनों की मांग से संबंधित डेटा का रख-रखाव नहीं करता है।

हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी आवास की कमी की समस्या का समाधान करना है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों के आधार पर योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-

स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। अब तक 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है जिसमें 2.0 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। स्वीकृत किए गए आवासों में से, कुल 114 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और जिनमें से 80.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

******